

12/3/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब चौधरी
जन्य कार्य के कारण
कार्यवाही नहीं की। पत्रावली
दिनांक 23/4/24 को पेश है।

23/4/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब चौधरी
जन्य कार्य के कारण
कार्यवाही नहीं की। पत्रावली
दिनांक 11/6/24 को पेश है।

11/6/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब चौधरी
जन्य कार्य के कारण
कार्यवाही नहीं की। पत्रावली
दिनांक 19/7/24 को पेश है।

19/7/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता अधि-
उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्माद
निषेधाज्ञा पर बहस की।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं दोषों
बहस उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा जाहिर
तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त निचयित
आराजी ख. नं. 485 ग्राम बडवा
तहसील बरसई जिला जयपुर में
उभयपक्षों को जरिये अस्माद निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष
उक्त आराजी श्रुति पर ताकतवर
वाद के नौके एवं रिकॉर्ड को
अद्यावत बनाये रखें।

पत्रावली दूसरे नुमां होकर
बम्बर से कम होकर दाखिल
कराये।
m.n.